महत्वपूर्ण

संख्या-2112 /नौ-7-2023-03(ज)/2023

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. नगर आयुक्तगण, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांक: 13 अक्टूबर, 2023**

विषयः "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) CM-GRIDS" के मार्गदर्शी सिद्धांत के संबंध में।

महोदय,

नगर विकास विभाग द्वारा सडकों के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से ''नगरीय सड़क सुधार योजना'' संचालित की जा रही है। शहरी सड़कों के विकास को ध्यान में रखकर अब उपर्युक्त योजना को अधिक प्रभावी बनाते हुए एक प्रोत्साहन आधारित योजना ''मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)'' (सीएम-ग्रिड्स) के रूप में प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- ''मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के प्रमुख दिशा-निर्देश निम्नवत है-

(1) योजनान्तर्गत सड़कों के पुनर्निर्माण/निर्माण हेतु इस वर्ष प्रथम चरण में समस्त नगर निगमों को आच्छादित किया जायेगा। नगर निगम की सड़कों के विकास के लिए कार्यदायी संस्था नगर निगम होगी।

(2) योजना के अनुवर्ती चरण(णों) में नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों को भी आच्छादित किया जाएगा। अनुवर्ती चरण के प्रारम्भ, आच्छादित की जाने वाली नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों का चयन और उनके लिए कार्यदायी संस्था के निर्धारण के संबंध में सक्षम स्तर के अनुमोदन से यथावश्यकता पृथक् से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

(3) योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को सड़कों के निर्माण/पुनर्निमाण हेतु अनुदान का आवंटन निकायों द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के आधार पर किया जायेगा। राजस्व संग्रहण में वृद्धि के आधार पर निकायों को निम्नानुसार अनुदान का आवंटन किया जायेगा-

क्र. सं.	राजस्व संग्रहण में वृद्धि	आवंटित धनराशि
1-	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में 15 प्रतिशत से कम की वृद्धि करने वाले निकाय	NIL
2-	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में 15-25 प्रतिशत की वृद्धि करने वाले निकाय	कुल राजस्व संग्रहण वृद्धि के बराबर धनराशि का अनुदान
3-	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करने वाले निकाय	कुल राजस्व संग्रहण वृद्धि के दोगुनी धनराशि का अनुदान

किन्तु अनुदान की धनराशि एक निकाय को एक वित्तीय वर्ष में ₹100 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

(4) योजनान्तर्गत प्राप्त किसी निकाय को अनुमन्य कुल अनुदानों के सापेक्ष कम से कम 10 प्रतिशत भाग का वहन नगरीय निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा। इसके लिये निकायों के राज्य वित्त आयोग फण्ड से 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी एवं इस राशि का प्रयोग सी.एम.-ग्रिड्स (अर्बन) में किया जायेगा।

(5) शहरी सड़कों के लिए इण्डियन रोड कांग्रेस के मैनुअल, IRC : SP : 118-2018 के प्रस्तर 2.2 में दिए गए शहरी सड़कों के वर्गीकरण के अनुसार, मध्यम राईट ऑफ वे वाली तीन श्रेणी की सड़कों (sub-arterial, collector और local streets) जिनकी चौड़ाई 10 से 45 मीटर के मध्य होती है, को ही योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

(6) सड़क सुधार/गढ्ढामुक्ति हेतु अन्य रिपेयर के लिए भी योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट का अधिकतम 10 प्रतिशत तक की धनराशि अनुमन्य होगी।

(7) विकास के लिए सड़कों का चयन, निर्धारित 'सड़क चयन मानदण्ड' के आधार पर किया जायेगा। इस मानदण्ड मे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी। 'सड़क चयन मानदण्ड' एजेन्सी (URIDA) द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें यातायात भार, सड़क की चौड़ाई, कनेक्टविटी महत्त्व, महत्त्वपूर्ण चौराहे वाली सड़कें, ऐसी सड़कें जिनका निर्माण हुये 5 वर्ष व्यतीत हो चुके है व जिनके रख-रखाव की अवधि पूरी हो चुकी हो, अत्यधिक जल भराव व खराब पेवमेन्ट वाली सड़कें, मेजर रिपेयर की आवश्यकता वाली सड़कें, ऐसी सड़के जहा अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे बिन्दुओं को सम्मिलित किया जायेगा।

(8) नगरीय निकायों द्वारा ''सड़क चयन मानदंड'' के आधार पर सड़कों का चयन किया जायेगा और नगरीय निकायों में 15वें वित्त आयोग के तहत, निकाय स्तर पर गठित समिति से अनुमोदन कराया जायेगा। निकाय द्वारा नगरीय क्षेत्र का एक 'इन्टीग्रेटेड सड़क नेटवर्क प्लान' तैयार किया जाएगा। सड़कों का चयन, इन्टीग्रेटेड सड़क नेटवर्क प्लान के आधार पर ही किया जाएगा।

(9) नगरीय निकायों द्वारा सड़कों का चयन स्थलीय सर्वेक्षण, जी.आईएस. मैपिंग, योजना के दिशा-निर्देश आदि के आधार पर करते हुये सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(10) सड़क के दोनो तरफ यूटिलिटी सर्विसेज की स्थापना हेतु डक्ट का निर्माण लोक निर्माण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-491/2023/स.-598/23-1-23-17सं./2021टी.सी., दिनांक 08.06.2023 में उल्लिखित प्राविधानानुसार किया जायेगा।

(11) योजना का सम्पूर्ण नियोजन एवं प्रबंधन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत सडक चयन से लेकर वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने एवं योजना की मॉनिटीरिंग तक विभिन्न मॉड्यूल विकसित किये जायेंगे। इन सभी मॉड्यूलों के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत विवरण योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश (संलग्न) में उल्लिखित है।

(12) योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि के लिये एस्क्रो अकाउण्ट के खोलने एवं संचालन का कार्य सी.ई.ओ., यूरिडा एवं वित्त नियंत्रक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(13) योजनान्तर्गत निकायों को धनराशि का आंवटन/वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(14) यदि परियोजना की लागत ₹10.00 करोड़ से कम है, तो धनराशि दो समान किश्तों में आवंटित की जायेगी। पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने और कार्य का गुणवत्ता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(15) यदि निर्माण कार्य की लागत ₹10.00 करोड़ से अधिक है, तो धनराशि चार किश्तों में निम्न विवरण के अनुसार अवमुक्त की जायेगी-

क्र. सं.	किश्त	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त किये जाने की शर्त
1-	प्रथम किश्त	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत	--------
2-	द्वितीय किश्त	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत	पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त
3-	तृतीय किश्त	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत	पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त
4-	चतुर्थ किश्त	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत	पहली एवं दूसरी किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं तीसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त

अवशेष बकाया 5 प्रतिशत की राशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त हैंडओवर प्रप्त करने के उपरांत की जायेगी।

(16) नगर विकास विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ-साथ सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) योजना के कार्यान्वयन, संचालन एवं मूल्यांकन के लिए नगर विकास विभाग के अन्तर्गत "अर्बन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एजेन्सी (URIDA) " का गठन किया जायेगा। एजेन्सी(URIDA) की संरचना, कार्य एवं उददेश्य इत्यादि के संबंध में पृथक् से दिशा-निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(17) एजेन्सी (URIDA) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अन्दर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) के बैंक अकाउंट का ऑडिट किया जाये।

(18) नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि सीएम-ग्रिड्स (अर्बन) के बैंक अकाउंट का मिलान विवरण और इसकी परिशुद्वता के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र एजेन्सी को प्रस्तुत करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लेखापरीक्षा के अलावा, इस योजना के अंतर्गत सम्पादित कार्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी), भारत सरकार के लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

(19) योजनान्तर्गत कुल प्राविधानित बजट का 1.5 प्रतिशत भाग एजेन्सी (URIDA) स्तर पर आरक्षित किया जायेगा। किसी भी वित्तीय वर्ष में एजेन्सी हेतु आरक्षित धनराशि योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(20) आरक्षित धनराशि में से 0.75 प्रतिशत भाग का उपयोग एजेन्सी द्वारा क्षमता निर्माण, इनफॉरमेशन एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन (IEC), प्रशासनिक, अन्य मदों (A&OE) इत्यादि पर किया जायेगा। आरक्षित धनराशि का 0.75 प्रतिशत अंश एजेन्सी द्वारा निकायों को यथा निर्धारित फार्मूले के आधार पर अंतरित किया जायेगा।

3- योजना का सम्पूर्ण क्रियान्वयन मा. मंत्री, नगर विकास विभाग के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में किया जायेगा। परियोजना की प्रगति की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट समय-समय पर मा. मंत्री, नगर विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

4. योजना की विस्तृत गाइडलाइन संलग्न है।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन)" की संलग्न विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुये प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

2022-23-1

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लोक निर्माण विभाग/आद्यौगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासना।
7. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल (वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु)।

आज्ञा से,

11.10.23

(डॉ. राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।

2022-23-1